



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 आषाढ़, 1945 (श०)

संख्या - 400 राँची, शुक्रवार,

14 जुलाई, 2023 (ई०)

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)

संकल्प

11 जुलाई, 2023

संख्या-02/कृ०गो०रा०-17/2020-1740—कृ०--उपायुक्त, सिमडेगा के पत्रांक-823 (ii)/गो० दिनांक-25.06.2020 एवं संयुक्त कृषि निदेशक, दक्षिणी छोटानागपुर परिक्षेत्र, राँची के पत्रांक-299 दिनांक-22.06.2020 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि श्री अशोक कुमार चौधरी, तत्कालीन अनुमण्डल-सह-जिला कृषि पदाधिकारी, सिमडेगा सम्प्रति सेवानिवृत्त के द्वारा 1. बंजर भूमि राईस फेलो योजना अन्तर्गत मशीन द्वारा सरकारी/निजी तालाब जीर्णोद्धार योजना संख्या-11/2019-20, 10/2019-20, 12/2019-20, 18/2019-20, 19/2019-20 में अनियमितता बरतना 2. अनुमंडल-सह-जिला कृषि पदाधिकारी का कार्यालय सिमडेगा, भूमि संरक्षण पदाधिकारी, सिमडेगा तथा जिला उद्यान पदाधिकारी, सिमडेगा के दायित्वों के निर्वहन में रुचि नहीं लिया जाने के संदर्भ में गठित आरोप पत्र में सन्निहित आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित प्रतीत होता है ।

2. अतः श्री चौधरी के दिनांक-31.07.2020 को वार्द्धक्य सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप उनके विरुद्ध गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम 43(b) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

3. श्री चौधरी के विरुद्ध गठित आरोपों की जाँच हेतु श्री कमल जॉन लकड़ा, विभागीय जाँच पदाधिकारी, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को संचालन पदाधिकारी एवं श्री विभाष चन्द्र सिंह अवर सचिव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड, राँची को प्रस्तोता पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

4. तदनुसार एतद द्वारा श्री चौधरी को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर जाँच हेतु नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान प्रस्तुत करेंगे ।

5. संचालन पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि विभागीय कार्यवाही की तिथि एवं स्थान से आरोपी पदाधिकारी को अवगत करायेंगे ताकि आरोपी पदाधिकारी ससमय अपना पक्ष रख सके। संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर तीन माह के अंदर जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री कमल जॉन लकड़ा, विभागीय जाँच पदाधिकारी, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची एवं श्री विभाष चन्द्र सिंह अवर सचिव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड, राँची तथा श्री अशोक कुमार चौधरी, तत्कालीन सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी, सिमडेगा सम्प्रति सेवानिवृत्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शिव किशोर मिश्र,
सरकार के अवर सचिव ।
